①

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामेश्वर बनाम रूपकला वगै०

प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु०नं० 549/2017

नम्बर अहकाम व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
18-1-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठ. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23-1-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23-1-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठ. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30-1-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	अप्रार्थीगण 6 व 7 की ओर से जवाब T.I. पेश ना करके T.I. पर बहस करना चाहता है (हस्ताक्षर) (Adv.) (अप्रार्थी न. 6 व 7)
30-1-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठ. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2-2-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
02.02.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश नहीं कर सीधे ही बहस किये जाने हेतु सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित कियें। जिस पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहु पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट पत्रावली दिनांक 15.02.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
15.02.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में बहुपक्षीय सुनी जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:48:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	रामेश्वर बनाम रूपचन्द वगै. हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मु० नं० 549/2017
	का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 15/02/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:48:10 IST
Reason: SelfAttested

①

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दावा दिनांक	निर्णय दिनांक
238 / 2014 बी0टी0नं0549 / 2017	2017 / 1173	29.09.2014	15.02.2023

उनवान प्रकरण

रामेश्वर पुत्र भोमा (गौत्र कुड़ी) आयु 65 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

–प्रार्थी

विरूद्ध

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

1. रूपकला उर्फ रूप देवी उर्फ रूपबाला आयु 75 वर्ष बेवा महादेव पुत्र हमीरा (गौत्र बराला) जाति जाट निवासी घाटमदासवाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)
2. सत्यवीर पुत्र महादेव जाति जाट निवासी घाटमदासवाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान हाल निवासी जी–25, सिद्धार्थ नगर, जगतपुरा रोड़, मालवीय नगर जयपुर।
3. धर्मवीर पुत्र महादेव
4. धर्मराज पुत्र महादेव

   समस्त जाति जाट निवासीगण घाटमदासवाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान हाल 142–बी, 2 नन्दपुरी, मालवीय नगर सैक्टर 11 के पास जयपुर राजस्थान।
5. धर्मपाल उर्फ धर्मपालदास पुत्र महादेव (चेला रिछपालदास) जाति जाट निवासी घाटमदासवाली तहसील श्रीमाधोपुर
6. देवकरण पुत्र इन्द्राज जाट जाति जाट निवासी ढाणी सेड़ सुबेदारवाली तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
7. भींवाराम पुत्र मांगूराम जाति जाट निवासी ढाणी [illegible] तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:48:10 IST
Reason: SelfAttested

15/02/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

(7)

8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

9. सबरजिस्ट्रार अजीतगढ जिला सीकर।

10. नायब तहसीलदार अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

11. पटवारी हल्का खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा

प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा 2.80 है0, खसरा नम्बर 206 रकबा 4.36 है0, खसरा नम्बर 518 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 519 रकबा 1.32 है0, खसरा नम्बर 523 रकबा 1.38 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 10.48 है0 तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 322/2 रकबा 42 बीघा 5 बिस्वा तन् ग्राम करड़का है जो वरवक्त काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पहले से ही 1/4 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार प्रार्थी का पिता भोमा पुत्र बल्ला कुड़ी था। जिसका राजस्व रिकार्ड संवत् 2008 से 2027 जमाबंदी खतौनी बन्दोबस्त से पूर्णरूपेण सिद्ध है। उक्त वर्णित भूमियां प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमियां है तथा उक्त वर्णित भूमियों के अलावा पुराने भूमि खसरा नम्बर 61 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 72 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 73 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 74 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 78 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा एवं वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 322/2 रकबा 42 बीघा 5 बिस्वा के 1/4 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार प्रार्थी का पिता भोमा पुत्र बल्ला काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से ही उक्त भूमि के 1/4 हिस्से पर काबिज चला आ रहा था तथा प्रार्थी के पिता भोमा पुत्र बल्ला का देहान्त होने पर अप्रार्थीयां नम्बर 1 व इनका मृत्तक पति महादेव व रामबक्स पुत्रगण हमारा [illegible] काफी चालाक, बदमाश किश्म के व्यक्ति थे तथा प्रार्थी असहाय [illegible] नाजायज एवं गलत फायदा उठाने की नियत से साजिशी [illegible] करते हुये प्रार्थी की उक्त भूमियों को हड़पने का सुनियोजित षड़यंत्र रचकर अवैध त[illegible] प्राप्त करने की नियत से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:48:10 IST
Reason: SelfAttested

15/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, अधिकारी व ग्राम पंचायत के तत्कालीक सरपंच को षड़यंत्र में शामिल कर उक्त भूमियों में प्रार्थी के पिता की मृत्यु उपरान्त जो विरासत का नामान्तकरण संख्या 45 दर्ज करवाया। उसमें प्रार्थी के पिता के जायन्दा पुत्र बनकर अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 के पति/पिता महादेव व रामबक्श पुत्रगण हमीरा जो थे ने अपना नाम प्रार्थी के साथ सगे भाई के रूप में उक्त 1/4 हिस्से में से 2/3 हिस्से की भूमियों की खातेदारी में गलत, मिथ्या एवं साजिशी कार्यवाही करते हुये अपने नाम दर्ज करवा ली तथा शेष 1/3 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज करवा दी जबकि प्रार्थी अकेला अपने मृत्तक पिता भोमा पुत्र बल्ला का जायन्दा पुत्र है तथा उक्त भूमियों से अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 व इनके पिता/पति महोदव व रामबक्श का कोई सरोकार किसी किस्म का नहीं था, न ही कानूनन हो सकता था। यहां यह उल्लेखनीय है कि महादेव, रामबक्श पुत्रगण हमीरा बराला गौत्र से थे जबकि प्रार्थी व प्रार्थी का पिता भोमा पुत्र बल्ला कुड़ी गौत्र से है। इसलिये वादग्रस्त भूमियों में विरासतन किसी भी प्रकार के कोई हक अधिकार अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 के पिता/पति महादेव व रामबक्श को कानूनन नहीं मिल सकते है। प्रार्थी के पिता भोमा पुत्र बल्ला की भूमि पुराने खसरा नम्बर 322/2 रकबा 42 बीघा 5 बिस्वा तन् ग्राम करड़का जिसके नवीन भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा 2.80 है0, खसरा नम्बर 206 रकबा 4.36 है0, खसरा नम्बर 518 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 519 रकबा 1.32 है0, खसरा नम्बर 523 रकबा 1.38 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 10.48 है0 तन् करड़का पटवार हल्का खिरोटी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिसको वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जा रहा है। अन्य भूमि पुराने खसरा नम्बर 61 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 72 करबा 16 बिस्वा, खसर नम्बर 73 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 74 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 78 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 व इनके मृत्तक पिता/पति महादेव [illegible] द्वारा [illegible] व गलत तरीके से अप्रार्थीगण नम्बर 6 व 7 के अलावा अन्य दीगर व्यक्तियों को [illegible] की है। इसलिये इस वाद में जटिलतायएं पैदा नहीं हो इसलिये इन पुराने [illegible] नम्बर बाबत अलग से कार्यवाही की जावेगी। उक्त वर्णित भूमियों में गलत एवं अवैध रूप से प्रार्थी के पिता भोमा पुत्र बल्ला की मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थीयां नम्बर 1 व इसका पति महादेव जो कि सरकारी कर्मचारी होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:48:10 IST
Reason: SelfAttested

12/02/23

④

काफी चालाक एवं बदमाश किस्म का व्यक्ति था व रामबक्श ने आपस में सुनियोजित साजिशी कार्यवाही करते हुये प्रार्थी के पिता भोमा पुत्र बल्ला के विरासत का नामान्तकरण राजस्व कर्मचारी, पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत सरपंच खिरोटी से साजकर अपने नाम प्रार्थी के साथ भोमा पुत्र बल्ला के जायन्दा पुत्र बनकर जरिये नामान्तरकण संख्या 45 दिनांक 30.09.1973 गलत एवं अवैध विधि विरूद्ध खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली। जिससे प्रार्थी कतई पाबन्द नहीं है जो मुकाबले प्रार्थी अवैध एवं शून्य घोषित किये जाने योग्य है। तत्पश्चात् रामबक्श की मृत्यु होने पर मिथ्या एवं साजिशी कार्यवाही करते हुये रामबक्श के नाम दर्ज इस भूमि में विरासत की खातेदारी महादेव व अप्रार्थी नम्बर 1 व अप्रार्थीगण नम्बर 2 ता 5 ने महादेव व प्रार्थी के नाम दर्ज करवा दी। उक्त खातेदारी द्वितीय सैटलमेन्ट तक राजस्व रिकार्ड में महादेव के गलत नाम से चलती रही तथा राजस्व रिकार्ड में 1/8 हिस्सा महादेव के नाम गलत अंकित रहा तथा 1/8 हिस्सा का खातेदार प्रार्थी के नाम दर्ज करवा दिया तथा प्रार्थी के उक्त 1/8 हिस्से को भी हड़प करने के लिये फर्जी व साजिशी कार्यवाही करते हुये द्वितीय सैटलमेन्ट में प्रार्थी का वादग्रस्त भूमियों से नाम हजफ कराते हुये उक्त 1/8 हिस्से की भूमि भी अप्रार्थी नम्बर 4 धर्मराजदास चेला रिछपालदास के नाम तथा इसके पश्चात् धर्मपालदास चेला रिछपालदास दर्ज करवाते हुये वादग्रस्त भूमियों से प्रार्थी का नाम गलत, मिथ्या एवं साजिशी कार्यवाही करते हुये प्रार्थी की भूमि को हड़प करने की नियत से अपने नाम गलत दर्ज करवा ली। सैटलमेन्ट को किसी भी प्रकार के कोई खातेदारी परिवर्तित करने के अधिकार कानूनन नहीं है तथा उसके पश्चात् अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 के पिता/पति महादेव की मृत्यु होने पर विरासतन खातेदारी अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 ने अपने नाम गलत रूप से यह जानते हुये कि उक्त भूमियां प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी हक अधिकार की भूमियां है को अपने नाम दर्ज करवा ली। तत्पश्चात् उक्त वादग्रस्त भूमियो को साजिशी पूर्ण कार्यवाही करते हुये सदोष लाभ के उद्धेश्य से प्रार्थी को सदोष हानि पहूंचाने की नियत से अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 द्वारा अप[illegible] नम्बर 6 व 7 को षडयंत्र में शामिल करते हुये वादग्रस्त भूमियो का [illegible] 1 ता 5 द्वारा अप्रार्थीगण नम्बर 6 व 7 को बिना किसी [illegible] अधिकार के कर दिया। जिसका अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 को किसी भी प्रकार के कोई हक अधिकार बेचान करने के नहीं

15/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:48:10 IST
Reason: SelfAttested

थे तथा न ही अप्रार्थीगण नम्बर 6 व 7 को खरीद करने के कोई कानूनी अधिकार थे न ही कानूनन हो सकते है तथा उक्त गलत एवं अवैध कार्यवाही के आधार पर राजस्व रिकार्ड में जो परिवर्तन होकर भूमियों की खातेदारी जो अप्रार्थीगण 6 व 7 के नाम गलत दर्ज है इसलिये प्रार्थी, अप्रार्थीगण की उक्त कार्यवाही से कतई पाबन्द नहीं है तथा बमुकाबले शुरू से ही प्रभाव शून्य व बेअसर है तथा उक्त भूमि की खातेदारी 1/4 हिस्से की प्रार्थी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाने का अधिकारी है। कानूनन नामान्तकरण संख्या 45 जो अवैध गलत व साजिशी कार्यवाही के तहत मिथ्या वारिस बनकर अप्रार्थीगण के पति/पिता मृत्तक महादेव व रामबक्श पुत्रगण हमीरा के नाम गलत दर्ज किया गया है। जिसके आधार पर उक्त भूमियों में अप्रार्थीगण प्रविष्ठ हुये है वही अवैध है। इसलिये इस नामान्तकरण के बाद जो पश्चावर्तिया कार्यवाही राजस्व रिकार्ड में तब्दीली की तथा गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर जो अन्तरण अप्रार्थीगण नम्बर 6 व 7 के हक में हुये उनके आधार पर किसी भी प्रकार के कोई कानूनी अधिकार अप्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हो सकते है। इसलिये समस्त कार्यवाहीया प्रार्थी के हक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में कानूनन शून्य व प्रभावहीन है। इस बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अलग से आपराधिक कार्यवाही कर रहा है। उक्त वर्णित भूमियों में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा पैतृक रूप से अर्जित हक हिस्सा है जिसे दीगर किसी अप्रार्थीगण का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है। प्रार्थी उक्त 1/4 हिस्से पर अपने पिता के जीवनकाल में उनके साथ जब से होश संभाला तब से मौके पर काबिज कास्त चला आ रहा है तथा पिता की मृत्यु के पश्चात् मौके पर काबिज कास्त है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि उक्त भूमियों पर अन्य सहखातेदारों से हक अधिकारों का विवाद होने के कारण पूर्व में रिसिवरी में चली गयी थी तथा रिसिवरी मुक्त होने के उपरान्त प्रार्थी अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज कास्त पुनः होकर मौके पर काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में बाजरे, इत्यादि की फसल मौके पर खड़ी है। जिससे अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई सरोकार किसी किस्म का नहीं है न ही कानूनन हो सकता है तथा प्रार्थी अपने कब्जे काश्त एवं हक अधिकार [illegible] उक्त भूमियों की खातेदारी बमुकाबले अप्रार्थीगण अपने नाम उदघोषित [illegible] है। अप्रार्थी नम्बर 1 ता 7 उक्त गलत खातेदारी की आड़ [illegible] विक्रय लेख के आधार पर प्रार्थी के कब्जे काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:48:10 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

61 ब्हीन

(6)

मे मजाहमत करने व दीगर व्यक्तियों को किसी भी तरह से अन्तरण करने व उक्त कृषि भूमियों को खुर्द–बुर्द करने की कुचेष्टा में हैं तथा स्वयं का कब्जा करने एवं राजस्व रिकार्ड परिवर्तन कराने पर आमादा हो रहे है तथा अप्रार्थी नम्बर 8 ता 11 भी अप्रार्थी नम्बर 1 ता 7 से मिले हुये होने के कारण, अन्तरण लेख तस्दीक करने, राजस्व रिकार्ड परिवर्तन करने एवं दीगर के हक में उक्त भूमियां खातेदारी दर्ज करने पर आमादा हो रहे है। जिसका उन्हे किसी किस्म का कानूनी हक व अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपनी अवैध कार्यवाहीयों में सफल हो जावेगें तो प्रार्थी बर्बाद हो जावेगा एवं प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी तथा दीगर मुकदमेबाजी बढ़कर खून खराबा होगा, जिसकी क्षतिपूर्ती किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इसलिये अप्रार्थीगण की इस गलत व अवैध मनमानी कार्यवाही को प्रार्थी जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है तथा न्यायहित में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जा रहा है। दिनांक 27.09.2014 को अप्रार्थीगण अन्य दीगर भूमाफिया लोगों को साथ लेकर प्रार्थी की भूमियों पर आये तथा मौके पर सम्पूर्ण भूमियों को बेचान करने के लिये दिखाने लगे तो प्रार्थी के परिवारजन व काबिज काश्त व खातेदारी वाले व्यक्ति मौके पर बाजरे की फसल की कटाई कर रहे थे तो उनको आकर कहा कि आप उक्त भूमि में किसी प्रकार की कटाई मत करो। उक्त भूमियों हमारे नाम है तथा हम उक्त भमियों को दीगर लोगों को बेचान करेगें तथ प्रार्थी के परिवारजन को कहा कि अन्य लोगो के साथ ही वादग्रस्त उक्त 1/4 हिस्से की भूमि से लठ एवं ताकत के बल पर तुम्हें बेदखल करेगें व उक्त भूमि को बेचान करेगें तथा मौके पर लड़ाई झगड़ा प्रार्थी के परिवाजरन से व अन्य से शुरू कर दी। इसलिये वादकारण पैदा होकर प्रार्थी को प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई कब्जा काश्त मौके पर नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा [illegible] संतुलन, अपूर्णनीय क्षति बखुबी प्रार्थी के पक्ष में साबित है तथा यदि अप्रार्थीगण [illegible] में कामयाब हो जावेंगे तो प्रार्थीगण को इस कदर क्षति होगी। जिसकी पूर्ति [illegible] किसी भी सूरत में बाद में संभव नहीं होगी। इस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:48:10 IST
Reason: SelfAttested

15/04/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 7 को ता–दौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वे भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा 2.80 है0, खसरा नम्बर 206 रकबा 4.36 है0, खसरा नम्बर 518 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 519 रकबा 1.32 है0, खसरा नम्बर 523 रकबा 1.38 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 10.48 है0 तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थी के 1/4 हिस्से के शांतिपूर्ण कब्जे कास्त एवं उपयोग–उपभोग में कोई मजाहमत नहीं करें ना दीगर से करावें, ना ही जबरन बेदखल करे, ना जबरन कब्जा करने की कार्यवाही करें तथा अप्रार्थीगण नम्बर 8 ता 11 को भी प्रतिबंधित किया जावें कि उनके समक्ष विवादग्रस्त भूमियों बाबत प्रस्तुत होने वाले अन्तरण लेख को तस्दीक नहीं करें एंव न ही राजस्व रिकार्ड में कोई तब्दीली करें, न ही अप्रार्थीगण के नाम नामान्तकरण भरे जाने का निवेदन प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं. 6 लगायत 7 की ओर से श्री बनवारी लाल कुड़ी एड0 उपस्थित आये एंव जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब टी.आई. पेश नहीं की जाने पर जवाबदेही बन्द की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से श्री रक्षपाल स्वामी एड0 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किये। अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 के नोटिस तामील साधारण तरीके से असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 7 की जवाब देही बन्द कर दिये जाने तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर दिये जाने तथा अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील प्रार्थी ने बहस सुने जाने का निवेदन किया।

प्रकरण [illegible]

बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा 2.80 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:48:10 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 206 रकबा 4.36 है0, खसरा नम्बर 518 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 519 रकबा 1.32 है0, खसरा नम्बर 523 रकबा 1.38 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 10.48 है0 तन् ग्राम करड़का पटवार हल्का खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित होकर इसके पुराने खसरा नम्बर 322/2 रकबा 42 बीघा 5 बिस्वा तन् ग्राम करड़का है जो वरवक्त काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पहले से ही 1/4 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार प्रार्थी का पिता भोमा पुत्र बल्ला का होना प्रकट होता है। नामान्तकरण संख्या 45 दिनांक 30.09.1963 भोमा पुत्र बल्ला की फौतगी का खोला गया है। उसमें भोमा के तीन वारिसान महादेव, रामबक्स, रामेश्वर के नाम से खोला गया है। जो गलत है। जबकि सरंपच ग्राम पंचायत करड़का के द्वारा दिनांक 05.06.2014 को जारी किये गये वारीसनामा प्रमाण पत्र में भोमाराम के रामेश्वर लाल को अकेले वारिस बताया गया है। उक्त खोले गये नामान्तकरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी का फायदा उठाते हुए महादेव व रामबक्श ने अपने नाम दर्ज भूमियों का बैचान देवकरण व भींवाराम को कर दिया। जो प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 6 व 7 दर्ज रिकार्ड है। दौराने कार्यवाही सैटलमेंट में रामेश्वर का नाम हजफ करते हुए उक्त 1/8 हिस्से की भूमि में धर्मराजदास चेला रिछपालदास का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। रामेश्वर लाल के जायन्दा पुत्र प्रहलाद जाट है। वकील प्रार्थी ने न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को तादौराने दावा कन्फर्म किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि वादग्रस्त आराजी भूमियों में दर्ज खातेदारान् महादेव, रामबक्स व रामेश्वर की माँ एक ही है। महादेव, रामबक्स की माता छोटी देवी ने भोमा से नाता किया तब महोदव व रामबक्स को दत्तक ग्रहण किया गया। जिसमें रामबक्स अविवाहित होकर नाऔलाद फौत हो गया। प्रार्थी के द्वारा उक्त नामान्तकरण को निरस्त कराने बाबत [illegible] अपील नहीं की गई। आज 51 वर्ष के पश्चात् अपने नाम खातेदारी [illegible] न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। रामेश्वर कभी गांव में कभी धर्मराज [illegible] के आश्रम में रामप्रसाद वाली कभी जयपुर जाकर रहता है। उसने धर्मराज के हक में [illegible] विलेख दिनांक 27.01.1982 को उप

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:48:10 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
15/02/23
दिलीप सिंह
नायब तहसीलदार (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पंजीयक कार्यालय श्रीमाधोपुर में करा दिया था। ग्राम करड़का में अनेक मुकदमों के चलते आपस में गांव के लोगों से महादेव व अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 5 का मनमुटाव हो जाने से उक्त लोग प्रार्थी रामेश्वर को बहकाते रहते थें। रामेश्वर की शादी नहीं हुई थी। प्रार्थी के भाई महादेव व अप्रार्थीगण नम्बर 4 ने मिलकर विवादित भूमि के बाबत उसके सहकाश्तकार व गांव के लोगों से कई वर्षो तक उक्त भूमि के हक व बंटवारें को लेकर मुकदमा लड़ा। इस वादग्रस्त भूमि पर न्यायालय सहायक कलक्टर श्रीमाधोपुर ने मुकदमा नम्बर 109/1987 उनवानी महादेव बनाम जग्गू दिनांक 19.08.1988 को रिसीवर नियुक्ति के आदेश किये जाने पर रिसीवर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के कब्जा काश्त में रही। उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी नम्बर 6 व 7 को कर दिया जिस पर वे काबिज काश्त हो गये थे। प्रार्थी का विवादित भूमि पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दायरी से 12 वर्ष पूर्व लगातार भी कोई कब्जा काश्त नहीं था एंव ना ही है। भूमि का बैचान कर दिये जाने तथा अप्रार्थी नम्बर 4 के हक में उसकी खातेदारी करवाने के बाद कोई हक नहीं रह गया है। प्रार्थी के अपने कथनों से एस्टोप्ड होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार भू प्रबन्ध सैटलमेंट विभाग राजस्थान द्वारा जारी खतौनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत् 2008–2027, जमाबन्दी सम्वत् 2027–2030, 2031–2034, 2029–2032, 2033–2036, 2042, 2043–2046, 2047 से 2050, 2051–2054, 2067–2070, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, नामान्तकरण संख्या 45 व 155 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है वादग्रस्त आराजी भूमियों के 1/4 हिस्से का प्रार्थी रामेश्वर के पिता भोमा पुत्र बल्ला का काबिज खातेदार काश्तकार होना पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संम्वत 2008 से 2027 तक की खतौनी बंदोबस्त से प्रकट होता है तथा प्रार्थी के पिता भोमा पुत्र बल्ला के देहांत होने पर विरासत का नामांतकरण संख्या 45 दिनांक 30.09.1963 के [illegible] के तीन विधिक वारिसान महादेव, रामबक्स व रामेश्वर के नाम [illegible] है। जिसमें रामबक्स के अविवाहित होकर नाऔलाद फौत होने पर रामबक्स के [illegible]रिसान के रूप में उसके भाईयों

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:48:10 IST
Reason: SelfAttested

15/02/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित है

महादेव व प्रार्थी रामेश्वर के नाम विरासत का नामांतकरण भरा जाना प्रकट होता है तथा प्रार्थी रामेश्वर के द्वारा अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमियों में से अलग–अलग समय पर प्रतिफल राशि प्राप्त की जाकर दिनांक 29.06.1979, 20.09.1979, 26.11.1979 को अप्रार्थी संख्या 4 धर्मराज पुत्र महादेव के नाम रजिस्टर्ड विक्रय लेख उपपंजियक कार्यालय में पंजीबद्ध कराया जाना प्रमाणित होता हैं। वहीं रामेश्वर के भी अविवाहित होकर नाऔलद होने से धर्मराज के हक में दत्तक विलेख पंजीयन दिनांक 27.01.1982 को उपपंजियक कार्यालय श्रीमाधोपुर में कराया जाना प्रमाणित होता है। रामेश्वर के फौत होने पर उसके दत्तक ग्रहिता पुत्र को जरिये विरासतान खातेदारी अधिकार स्वतः ही सृजित हो जाएंगे। उक्त वादग्रस्त भूमियों में से भोमा पुत्र बल्ला के वारिसान महादेव व रामबक्स ने भी अपने नाम दर्ज भूमियों को अप्रार्थी नम्बर 6 देवकरण पुत्र इन्द्राज जाट व अप्रार्थी नम्बर 7 भीवाराम पुत्र मंगुराम जाट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख के बेचान किया जाना प्रकट होता हैं। इस प्रकार अप्रार्थी नम्बर 6 व 7 सदभावी क्रेता के रूप में राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हुए हैं। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में तथाकथित नामांतकरण संख्या 45 दिनांक 30.09.1963 को गलत भरे जाने का हवाला देते हुए न्यायालय में अपने खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने बाबत लगभग 50–51 वर्षों के पश्चात् दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना प्रकट होता हैं। जिसमें उभय पक्षकारानों की बाद सुनवाई की जाकर वादपत्र में तनकीयात कायम की जाकर वादी व प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जाकर तथा उनसे जिरह की जाने के उपरांत गुणावगुण पर ही निर्णय पारित किए जाकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना संभव होता है।

जहां तक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में जारी करवाए गए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाए जाने का प्रश्न है। इस मामले में पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन करने पर विदित होता हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रामेश्वर वादग्रसत आराजी भूमियों का वर्तमान में खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट नहीं होता है। इस स्थिति में राजस्व रिकार्ड में बिना दर्ज किसी खातेदार काश्तकार के पक्ष में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना तथा यदि जारी हो गई हो तो उसे लंबे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:48:10 IST
Reason: SelfAttested

15/04/22

(11)

समय तक आगे चलाया जाना कतई न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी के वादग्रस्त आराजी भूमियों में खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नहीं होने से प्रथम दृष्टवा मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण जो कि वादग्रस्त आराजी भूमियों के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड होने से पक्ष में होना पाया जाता है। चूंकि प्रथम दृष्टवा मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में होना पाया जाता है तो सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में ही होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से किसी भी सुरत में पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

—:: आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाए जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 29.09.2014 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

15/02/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 15.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/02/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:48:10 IST
Reason: SelfAttested